

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपालसिंह (आर०ए०एस०)

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2017

दायर दि० 19-5-17
फैसल दि० 19-5-17

श्री गोपाल सिंह
कुराडा काका
(वादी)

अनवान

बनाम

प्रियंका सरपंच
कुराडा
(प्रतिवादी)

वादी श्री गोपाल सिंह कुराडा ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा कुराडा काका के खाता नम्बर 53 जमाबन्दी सं० 2073-76
में अंकित स्वयं/पिता का नाम गोपाल सिंह कुराडा
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम गोपाल
सिंह कुराडा है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम गोपाल
कुराडा दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम गोपाल सिंह कुराडा
होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार दृसागवाडा/गलियाकोट को आदेश
दिया जाता है कि मोजा कुराडा काका की जमाबन्दी संवत् 2073-76
के खाता संख्या 53 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत
नाम गोपाल सिंह कुराडा में संशोधन कर सही नाम
गोपाल सिंह कुराडा दर्ज रेकार्ड किया जावे ।
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।

१८
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा